न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 75/2021
बलवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री छाजूराम, ग्रा0पो0 काकोडा, जिला झुंझुनूं (राज0) पिन कोड 333026,
मो0न0 9672483788

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 14.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.05.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 75/2021 पर दिनांक 04.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1633–34 दिनांक 04.05.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा ने पत्रांक आर0टी0आई0/2021/13 दिनांक 10.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी बलबीर पुत्र स्व0 श्री छाजूराम, ग्रा0पो0 काकोडा, जिला झुंझुनूं ने दिनांक 16.03.2021 को इस कार्यालय मे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक राजस्व/2021/228 दिनांक 12.04.2021 द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय हाजा की पाठक शाखा मे तथा कार्यालय की समस्त शाखाओं मे काफी तलाशी के उपरान्त भी उपलब्ध नही हो सकी है। वर्तमान मे ग्राम काकोडा तहसील सूरजगढ मे स्थित है। प्रकरण मे आवेदक द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय हाजा मे संघारित नही है तथा तलाश भी की जा चुकी है। अतः आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही। (तहसीलदार) चिडावा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2021/13 दिनांक 10.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी बलबीर पुत्र स्व0 श्री छाजूराम, ग्रा0पो0 काकोडा, जिला झुंझुनूं ने दिनांक 16.03.2021 को इस कार्यालय मे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक राजस्व/2021/228 दिनांक 12.04.2021 द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय हाजा की पाठक शाखा मे तथा

13

कार्यालय की समस्त शाखाओं मे काफी तलाशी के उपरान्त भी उपलब्ध नही हो सकी है। वर्तमान मे ग्राम काकोडा तहसील सूरजगढ मे स्थित है। प्रकरण मे आवेदक द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय हाजा मे संधारित नही है तथा तलाश भी की जा चुकी है। अतः आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। जाहिर है कि प्रार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चिडावा को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

5. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
14/6/21